न्यायालय अति. जिला कलक्टर, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – नरेश बुनकर, RAS

प्रकरण संख्या : 01 / 2021
रजिस्ट्रेशन संख्या : 2021 / 46

प्रार्थी / अपीलार्थी :–

श्री विठ्ल पाटीदार पिता देवेग पाटीदार जाति पाटीदार निवासी चौखला, तहसील बागीदौरा, जिला बॉसवाडा।

बनाम

अप्रार्थी / रेस्पोण्डेंट्सः–

1. श्री विमल पाटीदार पिता ताजेंग पाटीदार जाति पाटीदार निवासी चौखला तहसील बागीदौरा जिला बॉसवाडा।
2. सरपंच ग्राम पंचायत चौखला पंचायत समिति बागीदौरा जिला बॉसवाडा।

उपस्थित

श्री महेन्द्र गॉधी, एडवोकेट
श्री वैभव गॉधी, एड्वोकेट

श्री राजेन्द्र पाटीदार एड्वोकेट
श्री अंकित गोस्वामी एड्वोकेट

निर्णय

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994

दिनांक :– 23.11.2021

प्रस्तुत मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 ग्राम पंचायत चौखला की संकल्प संख्या 3 (IX) दिनांक 06.12.2019 द्वारा जारी पट्टा सं. 77 दिनांक 06.12.2019 वाके ग्राम चौखला पंचायत समिति बागीदौरा जिला बॉसवाडा का पट्टा अप्रार्थी सं. 1 के नाम जारी करने से अप्रसन्न, असन्तुष्ट व व्यथित होकर यह निगरानी पेश की है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अनुसार प्रार्थी व अप्रार्थी सं.1 एक ही परिवार के होकर ग्राम चौखला में पैतृक आबादी भूमि है जिसमे हिस्सा कर कब्जा है। अप्रार्थी विमल के पूर्वज रतनजी पिता झेथा व प्रार्थी के पूर्वज देवेग पिता झेथा के मध्य पारिवारिक व्यवस्था पत्र दिनांक 04.02.1973 के द्वारा निष्पादित किया गया है जिसमे अंकित किया गया कि मकान रतनजी, देवेग के पास है उसमे एक हिस्सा उत्तर तरफ हाथे 14 रतनजी को दिया दरवाजा रखा हुआ। रतनजी पिता झेथा अप्रार्थी सं.1 विमल के पूर्वज है। 14 हाथ चौडाई भूमि लगभग 18 फीट होती है अप्रार्थी सं.1 का 18 फीट बाय 76 फीट कुल क्षेत्र[illegible] 13[illegible] वर्गफीट भूमि पर कब्जा है परन्तु अप्रार्थी सं.1 ने अप्रार्थी सं.2 ग्राम पंचायत से मिली भगत [illegible] फीट बाय 76 फीट कुल क्षेत्रफल 1900 वर्गफीट पट्टा संख्या 77 दिनांक 06.12.2019 ग्राम प[illegible]त से प्राप्त कर लिया है [illegible] पंचायत

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2022.04.18 13:01:34 IST
Reason: SelfAttested

(नरेश बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, बांसवाड़ा

चौखला के सरपंच गौतम पिता चमना निवासी चिरोडाबडा द्वारा उक्त पट्टे का पंजीयन उप पंजीयक बागीदौरा से अप्रार्थी सं.1 के पक्ष में कर दिया। प्रार्थी की भूमि 7 फीट बाय 76 फीट कुल क्षेत्रफल 532 वर्गफीट भूमि को अप्रार्थी ने अपनी भूमि में समाविष्ठ कर गलत तथ्य दर्शाते हुए पट्टा प्राप्त किया है जो गलत होकर निरस्त योग्य है। ग्राम पंचायत चौखला में पट्टा सं. 77 दिनांक 06.12.2019 की पत्रावली की नकल प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने निवेदन करने पर सरपंच व ग्राम विकास अधिकारी चौखला द्वारा दिनांक 05.07.2021 को पत्र जारी किया कि उक्त पट्टे के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत में न तो मिसल है न ही पट्टा है और ग्राम पंचायत में कोई रेकार्ड प्राप्त नही है। राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 के नियम 157(1) के तहत दिनांक 06.12.2019 को जारी उक्त पट्टे के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत में किसी तरह की कोई कार्यवाही नही की गई, प्रार्थी पडोसी होकर परिवार का सदस्य होने से उसके कथन लेख नही किये तथा न ही पट्टा जारी करने की शर्तो का पालन किया गया है। अतः निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार कर ग्राम पंचायत चौखला द्वारा जारी पट्टा सं. 77 दिनांक 06.12.2019 को निरस्त करने एवं उक्त पट्टे के आधार पर किये गये पंजीयन को शून्य किया जाने निवेदन किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगणो को नोटिस जारी किये गए। दिनांक 04.08.2021 को अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से श्री राजेन्द्र पाटीदार अधिवक्ता एवं अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से श्री अंकित गोस्वामी व श्री भूपेश सेवक अधिवक्ता का अभिभाषक पत्र प्रस्तुत हुआ।

दिनांक 24.08.2021 को अप्रार्थी सं.1 की ओर से प्रस्तुत जवाब में उल्लेख किया गया कि प्रार्थी और अप्रार्थी सं. 1 एक ही परिवार के सदस्य है एवं ग्राम चौखला में उनके पैतृक आवासीय भूमि है। अप्रार्थी विमल के पूर्वज रतनजी पिता झेथा व प्रार्थी के पूर्वज देवेंग पिता झेथा के मध्य पारिवारिक व्यवस्था पत्र दिनांक 04.02.1973 के द्वारा निष्पादित होना एवं मकान से सम्बन्धित समस्त तथ्य मिथ्या व झूठे है। उक्त तथाकथित पारिवारिक व्यवस्थापत्र कुटरचित है तथा षडयंत्र पूर्वक गलत तरीके से तैयार किया हुआ है उक्त पारिवारिक व्यवस्थापत्र पर्याप्त स्टाम्प पर मुद्रांकित किया हुआ नही है एवं न ही पंजीकृत है। यह कानूनी रुप से मान्य नही है। अप्रार्थी सं.1 को 25 फीट बाय 76 फीट कुल क्षेत्रफल 1[illegible] पर कब्जा है। अप्रार्थी ने ग्राम पंचायत चौखला में सही तथ्यो के [illegible] पंचायत से पट्टा सं. 77 दिनांक 06.12.2019 प्राप्त किया है। उक्त पट्टे को ग्राम [illegible]चायत चौखला के सरपंच गौतम पिता चमना

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2022.04.18 13:01:34 IST
Reason: SelfAttested

(नरेश बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,बांसवाड़ा

निवासी चिरोला बडा द्वारा पंजीयन उप पंजीयक कार्यालय बागीदौरा में आकर अप्रार्थी सं. 1 के हक में कर दिया है। अतः जवाब निगरानी प्रस्तुत कर प्रार्थी निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी आधारहीन होने से निरस्त करने निवेदन किया।

अप्रार्थी सं. 2 की ओर से प्रस्तुत जवाब में उल्लेख किया कि अप्रार्थी सं.1 द्वारा विधिवत आवेदन करने पर प्रक्रिया की पुर्ण पालना करने के पश्चात् वर्णित तथ्यो की पूरी जॉच करने पर तथा विधि की प्रक्रिया के अनुसार तथा मौके पर वास्तविक स्थिति की जॉच करने एवं शर्तो की पालना करने के बाद अप्रार्थी सं.1 के हक में अप्रार्थी सं.2 ने विधिवत पट्टा जारी किया है। अप्रार्थी सं. 1 का 25 फीट बाय 76 फीट कुल क्षैत्रफल 1900 वर्गफीट भूमि पर ही स्वामित्व व आधिपत्य है, जिसका पट्टा जारी किया गया है। ग्राम पंचायत चौखला के पूर्व सरपंच गौतम पुत्र चमना निवासी चिरोंलाबडा द्वारा उक्त पट्टा पंजीयन उप पंजीयक कार्यालय बागीदौरा में आकर अप्रार्थी सं.1 के हक में किया है। अतः राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 के नियम 157(1) के तहत ही विधिवत् प्रक्रिया व शर्तो की पूरी पालना कर अप्रार्थी सं.1 के हक में विधिक रुप से पट्टा सं. 77 दिनांक 16.12.2019 जारी किया गया है। अतः निगरानीकर्ता की निगरानी आधारहीन होने से निरस्त करने निवेदन किया।

दिनांक 08.09.2021 को उभयपक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपने निगरानी प्रार्थना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओ को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी व अप्रार्थी सं.1 एक ही परिवार के होकर ग्राम चौखला में पैतृक आबादी भूमि है जिसमे हिस्सा कर कब्जा है। अप्रार्थी विमल के पूर्वज रतनजी पिता झेथा व प्रार्थी के पूर्वज देवेग पिता झेथा के मध्य पारिवारिक व्यवस्था पत्र दिनांक 04.02.1973 के द्वारा निष्पादित किया गया है जिसमे अंकित किया गया कि मकान रतनजी, देवेग के पास है उसमे एक हिस्सा उत्तर तरफ हाथे 14 रतनजी को दिया दरवाजा रखा हुआ। रतनजी पिता झेथा अप्रार्थी सं.1 विमल के पूर्वज है। 14 हाथ चौडाई भूमि लगभग 18 फीट होती है अप्रार्थी सं.1 का 18 फीट बाय 76 फीट कुल क्षैत्रफल 1368 वर्गफीट भूमि पर कब्जा है परन्तु अप्रार्थी सं.1 ने अप्रार्थी सं.2 ग्राम पंचायत से मिली भगत कर 25 फीट बाय 76 फीट कुल क्षैत्रफल 1900 वर्गफीट पट्टा संख्या 77 दिनांक [illegible] ग्राम पंचायत से प्राप्त कर लिया है तथा ग्राम पंचायत चौखला के सरपंच [illegible] द्वारा उक्त पट्टे का पंजीयन उप पंजीयक बागीदौरा से अप्रार्थी सं.1 के पक्ष में [illegible] दिया। प्रार्थी की भूमि 7 फीट बाय 76 फीट

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2022.04.18 13:01:34 IST
Reason: SelfAttested

(नरेश बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, बांसवाड़ा

कुल क्षैत्रफल 532 वर्गफीट भूमि को अप्रार्थी ने अपनी भूमि में समाविष्ठ कर गलत तथ्य दर्शाते हुए पट्टा प्राप्त किया है जो गलत होकर निरस्त योग्य है। ग्राम पंचायत चौखला में पट्टा सं. 77 दिनांक 06.12.2019 की पत्रावली की नकल प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने निवेदन करने पर सरपंच व ग्राम विकास अधिकारी चौखला द्वारा दिनांक 05.07.2021 को पत्र जारी किया कि उक्त पट्टे के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत में न तो मिसल है न ही पट्टा है और ग्राम पंचायत में कोई रेकार्ड प्राप्त नहीं है। अप्रार्थीगणो द्वारा मिली भगत कर उक्त पट्टा जारी किया है। राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 के नियम 157(1) के तहत दिनांक 06.12.2019 को जारी उक्त पट्टे के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत में किसी तरह की कोई कार्यवाही नही की गई, प्रार्थी पडोसी होकर परिवार का सदस्य होने से उसके कथन लेख नही किये तथा न ही पट्टा जारी करने की शर्तो का पालन किया गया है। अतः निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार कर ग्राम पंचायत चौखला द्वारा जारी पट्टा सं. 77 दिनांक 06.12.2019 को निरस्त करने एवं उक्त पट्टे के आधार पर किये गये पंजीयन को शून्य किया जाने निवेदन किया तथा ग्राम पंचायत चौखला के पत्र दिनांक 05.07.2021 एवं न्यायिक दृष्टांत 2020 (I) DNJ (Raj) 199 राजस्थान उच्च न्यायालय भागीरथ राम बनाम राजस्थान राज्य एवं 2020 (I) DNJ (Raj) 201 कुशलसिंह राजपुरोहित बनाम राजस्थान राज्य प्रस्तुत किया।

अप्रार्थी सं. 1 के अधिवक्ता ने अपने जवाब में उल्लेखित बिन्दुओ को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि अप्रार्थी विमल के पूर्वज रतनजी पिता झेथा व प्रार्थी के पूर्वज देवेंग पिता झेथा के मध्य पारिवारिक व्यवस्था पत्र दिनांक 04.02.1973 के द्वारा निष्पादित होना एवं मकान से सम्बन्धित समस्त तथ्य मिथ्या व झूठे है। उक्त तथाकथित पारिवारिक व्यवस्थापत्र कुटरचित है तथा षडयंत्र पूर्वक गलत तरीके से तैयार किया हुआ है उक्त पारिवारिक व्यवस्थापत्र पर्याप्त स्टाम्प पर मुद्रांकित किया हुआ नही है एवं न ही पंजीकृत है। यह कानूनी रुप से मान्य नही है। अप्रार्थी सं.1 का 25 फीट बाय 76 फीट कुल क्षैत्रफल 1900 वर्गफीट पर कब्जा है। अप्रार्थी ने ग्राम पंचायत चौखला में सही तथ्यो के साथ आवेदन कर विधिवत रुप से ग्राम पंचायत से पट्टा सं. 77 दिनांक 06.12.2019 प्राप्त किया है। उक्त पट्टे को ग्राम पंचायत चौखला के सरपंच गौतम पिता चमना निवासी चिरोला बड़ा द्वारा पंजीयन उप पंजीयक कार्यालय [illegible] में [illegible] अप्रार्थी सं. 1 के हक में कर दिया है। अतः जवाब निगरानी प्रस्तुत कर प्रार्थी निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी आधारहीन होने से निरस्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2022.04.18 13:01:34 IST
Reason: SelfAttested

(नरेश बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, बांसवाड़ा

करने निवेदन किया तथा ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत चौखला द्वारा जारी पत्र दिनांक 26.08.2021 प्रस्तुत किया।

अप्रार्थी सं. 2 की ओर से अधिवक्ता ने कथन किया कि अप्रार्थी सं.1 द्वारा विधिवत आवेदन करने पर प्रक्रिया की पूरी पालना करने के पश्चात् वर्णित तथ्यो की पूरी जॉच करने पर तथा विधि की प्रक्रिया के अनुसार तथा मौके पर वास्तवितक स्थिति की जॉच करने एवं शर्तो की पालना करने के बाद अप्रार्थी सं.1 के हक में अप्रार्थी सं.2 ने विधिवत पट्टा जारी किया है। अप्रार्थी सं. 1 का 25 फीट बाय 76 फीट कुल क्षेत्रफल 1900 वर्गफीट भूमि पर ही स्वामित्व व आधिपत्य है, जिसका पट्टा जारी किया गया है। राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 के नियम 157(1) के तहत ही विधिवत् प्रक्रिया व शर्तो की पूरी पालना कर अप्रार्थी सं.1 के हक में विधिक रुप से पट्टा सं. 77 दिनांक 16.12.2019 जारी किया गया है। अतः निगरानीकर्ता की निगरानी आधारहीन होने से निरस्त करने निवेदन किया।

ग्राम पंचायत चौखला से दिनांक 16.11.2021 को प्रश्नगत मूल पत्रावली प्रस्तुत हुई।

दिनांक 23.11.2021 को पुनः बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता की ओर से बहस में कथन किया गया कि ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत चौखला द्वारा जो मूल पत्रावली प्रस्तुत की है जिसमें प्रोसिंडिंग पर दिनांक एवं सरपंच ग्राम पंचायत चौखला व ग्राम विकास अधिकारी ग्रा.पं. चौखला के हस्ताक्षर बाद में किये गये है। जबकि अप्रार्थी सं.2 द्वारा प्रस्तुत जवाब के संलग्न प्रश्नगत पत्रावली की नकल में प्रोसिडिंग पर दिनांक एवं सरपंच एवं सचिव के हस्ताक्षर नही है। अनापत्ति प्रमाण पत्र में दिनांक अंकित नही है। प्रश्नगत भूमि की नप्ती नही दर्शायी गई है। अनापत्ति आव्हान पत्र 'कहॉ कहॉ चस्पा किया गया है का अंकन नही है। शपथ पत्र स्टाम्प पर नही है तथा भूमि का विवरण नही दिया गया है। स्थल निरीक्षण रिर्पोट में दिनांक अंकित नही है एवं विक्रय शब्द का उपयोग नही किया गया है। नजरी नक्षा मे दिनांक का अंकन नही है, पडौसियों का उल्लेख नही है, मौहल्ले का विवरण नही है। पटवारी रिर्पोट में दिनांक अंकित नही है। पट्टे की मूल पत्रावली में प्रासिंडिंग पर पट्टा राशि व पंचायत विकास शुल्क राशि रु. 500 को 2501 किया गया है। इस प्रकार प्रश्नगत पट्टा पत्रावली कूट रचित एवं [illegible] से तैयार की गई है। अतः निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार कर ग्राम पंचायत चौखला द्वारा जारी पट्टा सं. 77 दिनांक 06.12.2019

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2022.04.18 13:01:34 IST
Reason: SelfAttested

(नरेश बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,बांसवाड़ा

को निरस्त करने एवं उक्त पट्टे के आधार पर किये गये पंजीयन को शून्य किया जाने निवेदन किया।

अप्रार्थी सं. 1 की ओर से अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि अप्रार्थी ने ग्राम पंचायत चौखंला में सही तथ्यो के साथ आवेदन कर विधिवत रुप से ग्राम पंचायत से पट्टा सं. 77 दिनांक 06.12.2019 प्राप्त किया है। उक्त पट्टे को ग्राम पंचायत चौखला के तात्कालिक सरपंच गौतम पिता चमना निवासी चिरोला बडा द्वारा उप पंजीयक कार्यालय बागीदौरा में आकर अप्रार्थी सं. 1 के हक में पंजीयन करा दिया है। अतः प्रार्थी निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी आधारहीन होने से निरस्त करने निवेदन किया।

हमने पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों एवं ग्राम पंचायत की मूल पत्रावली का गहनता पूर्वक अवलोकन किया। प्रश्नगत मूल पत्रावली की प्रोसिंडिंग पर दिनांक एवं सरपंच ग्राम पंचायत चौखला व ग्राम विकास अधिकारी ग्रा.पं. चौखला के हस्ताक्षर है, किन्तु अप्रार्थी सं. 2 के जवाब के साथ प्रस्तुत प्रश्नगत पत्रावली की प्रति में प्रोसिडिंग पर सचिव, सरपंच के हस्ताक्षर एवं दिनांक अंकित नही है। जहॉ तक ग्राम पंचायत चौखला की प्रश्नगत पत्रावली के फर्जी एवं कुट रचित होने का प्रश्न है, जिस पर निर्णय करना इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नही आता है। नियम 157(1) राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 के तहत् प्रश्नगत भूमि का पट्टा क्रमांक 77 दिनांक 06-12-2019 संकल्प सं. 3(IX) दिनांक 06.12.2019 श्री विमल पाटीदार पिता ताजेंग पाटीदार निवासी चौखला तहसील बागीदौरा जिला बॉसवाडा के नाम जारी किया जाकर दिनांक 16.12.2019 को उक्त पट्टा तात्कालिक सरपंच ग्राम पचायत चौखला पंचायत समिति बागीदौरा ने अप्रार्थी सं. 1 के हक में उप पंजीयक कार्यालय बागीदौरा से पंजीकृत करा दिया है। इस प्रकार जब कोई हस्तांतरण पंजीकृत दस्तावेज से पंजीयन के द्वारा निष्पादित हो जाता है तो उक्त दस्तावेज निरस्ती का क्षैत्राधिकार सिविल न्यायालय को है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र खारीज किया जाता है।

निर्णय आज 23.11.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नरेश बुनकर)
अति. जिला कलक्टर
बांसवाड़ा

(नरेश बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर, बांसवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2022.04.18 13:01:34 IST
Reason: SelfAttested